बेरोजगार हों, संलग्न विवरणी में दी गई हैं । [देखिये परिशिष्ट 184, अनुपत्र संख्या 67]

(ग) नौंवी योजना दृष्टिकोण पर्याप्त उत्पादक रोजगार सृजित करने तथा गरीबी का उन्मूलन करने की दृष्टि से कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देने की परिकल्पना की गई हैं । बेरोजगारी तथा अल्प-रोजगार की उच्च दरों की प्रवृत्ति वाले क्षेत्रों में श्रम सघन सैक्टरों, सब-सैक्टरों तथा प्रोद्योगिकियों पर संकेन्द्रण से विकास प्रक्रिया में अधिक उत्पादक रोजगार स्वतः ही सृजित होगा। इससे बेरोजगार इंजीनियर, स्नातक तथा अन्य डिप्लोमाधारी लाभान्वित होंगे

श्रम न्यायालय

2206. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के संविधान के अंतर्गत श्रम न्यायालयों को किस-किस प्रकार के अधिकारी दिये गये हैं जिससे श्रम न्याय प्रक्रिया को अधिक कारगर बनाया जा सके,

(ख) क्या श्रमिकों को बढ़ती हुई समस्याओं को देखते हुये देश के सभी न्यायालयों को और ज्यादा अधिकार प्रदान करने का कोई प्रस्ताव हैं, और

(ग) क्या सरकार लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिये गुजरात समेंत सभी राज्यों में श्रम न्यायालयों की संख्या बढ़ाने की विचार रखती हैं ?

श्रम मंत्री (डा0 सत्य नारायण जटिया) (क) भारत सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विषय से संबंधित औद्योगिक विवादों का न्याय निर्णय न करने और ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करने के लिये जो उन्हें अधिनियम, 1947 की धारा 7 के अधीन श्रम न्यायालयों का गठन किया हैं । औद्योगिक विवाद अधिनियम, 19947 की द्वितीय अनुसूची, जिसमें श्रम न्यायालय की अधिकारिता के भीतर के मामले शामिल हैं, मै निम्नलिखित शामिल हैं,

1. स्थायी ओदशों के तहत किसी नियोक्ता द्वारा जारी किये गये किसी आदेश का स्वाम्य अथवा उसकी वैधता,

2. स्थायी आदेशों की अनुप्रयुक्तता और निर्वचन,

3. कामगार की पदच्युति अथवा बरखास्तगी जिसमें गलत दंग से बरखास्त किये गये कामगार का पुनर्पदप्रतिष्ठापन या राहत का दिया जाना भी शामिल हैं,

4. किसी पारम्परिक राहत या सुविधा को वापस लिया जाना,

5. हड़ताल या तालाबंदी का अविधिमान्य या अन्यथा होना,

6. तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट न किये गये अन्य मामले ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) केन्द्रीय सरकार का नवीं पंचवर्षी योजना के दौरान जहां जरूरी समझा जाता हैं । वहां केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सह श्रम न्यायालयों का गठन करने का प्रस्ताव हैं ।

Welfare Schemes for Agricultural Labourers

2207. DR. JAGANNATH MISHRA: WiU the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) the details of the welfare schemes formulated for the agricultural labourers during the last three years;

(b) the financial allocation made by the Union Government for the said schemes during the Eighth Five Year Plan and for the current year; and

(c) the achievements made under the schemes and the number of persons benefited?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) to (c) Some of the major schemes undertaken for the welfare of the rural workers including agricultural workers include:—

(i) *[integrated Rural Development Programme (IRDP)*—

Under this scheme, financial assistance is provided for acquiring income generating assets, comprising of varying mix of subsidies and term credit at differential rates for small farmers, marginal farmer, agricultural labourers and rural artisans with special provision for SC/STs and women. Allocation undtr the scheme for Vlllth Plan was Rs. 6650.00 crores.